378

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक :– ओ.एस.डी./नविवि/15/ 1580 दिनांक :– 13/2/2015

–: अवार्ड :–

विषयः–केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना अन्तर्गत ग्राम लंगेरा, जिला बाड़मेर कुल रकबा 143–13 बीघा का अवार्ड जारी करने बाबत।

सन्दर्भः–अधिसूचना क्रमांक प.7(62)नविवि/III/10 दिनांक 19.05.2011

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम लंगेरा, जिला बाड़मेर कुल रकबा 143–13 बीघा के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.05.11 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना का 26.05.201 को राजस्थान राज–पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों में यथा "दैनिक भास्कर" व "दैनिक जलते दीप" जोधपुर संस्करण में दिनांक 22.07.11 को प्रकाशन करवाया गया। सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 16.09.2011 को सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाए गये जिनकी अन्तिम तामीली की दिनांक 29.09.11 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अंतिम प्रकाशन की तिथि 29.09.11 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में धारा 4(1) के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य सरकार को धारा 5ए के तहत मौका रिपोर्ट दिनांक 29.08.2012 को प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि रकबा 143–13 बीघा की धारा 6 की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 13.09.2012 को कुल रकबा 143–13 बीघा की जारी की गयी थी। अधिसूचना का राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 14.09.2012 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" व "राजस्थान पत्रिका" जोधपुर संस्करण में दिनांक 18.12.12 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 13.02.13 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसके अनुसार अन्तिम तामीली की दिनांक 04.03.2013 अंकित की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस दिनांक 22.08.13 एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 04.06.2014 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

D:\f drive\Award langera 143-13 bhigha.docx

व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में खसरा नं. 572/112, 551/98, 574/112, 552/98, 575/112, 553/98, 100, 547/96, 548/96, 549/96, 550/96 के खातेदार/हितधारियो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया की प्रार्थियों को 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड आवंटित किया जावे। मण्डल को पत्र दिनांक 15.12.14 द्वारा खातेदारों से प्राप्त 25 प्रतिशत विकसित भूमि के प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार मण्डल द्वारा गठित समिति की अनुशंषा भिजवाने हेतु सूचित किया। इसके उपरान्त पुनः 02.02.15 को अनुशंषा भिजवाने हेतु सूचित किया गया। इसके प्रत्युत्तर में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 18.02.2015 द्वारा सूचित किया कि उक्त खसरा नम्बरों एवं अन्य किसी खातेदार से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है उनमें भी 25 विकसित भूखण्ड चाहने वाले खातेदारों/हितधारियों को भूखण्ड दिए जाने से मण्डल सिद्धान्तः सहमत है तथा अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया।

मण्डल हेतु अवाप्ताधीन भूमि ग्राम लंगेरा, बाड़मेर की शेष भूमि का विवरण धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार निम्न प्रकार है :–

ग्राम लंगेरा, बाड़मेर में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण

क्र. सं.	भूमि धारको का नाम	काश्तकार का नाम,पिता, जाति, निवास स्थान पता सहित तथा कृषि काल	खसरा नं.	रकबा बिघा /बिस्वा	किस्म
1	राज. सरकार	हिन्दुसिंह, तारसिंह, गुमानसिंह, गोरधनसिंह पि. रूगसिंह, शंकरसिंह पि. सावंतसिंह, नेनसिंह, जसवन्तसिंह पि. रणजीतसिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार रहन–जसवन्तसिंह का हि.दी. से.कौ.आ. बैंक शाखा बाड़मेर नाकसं 333, 336, 343, 347, 376, 378, 379, 394, 409	572/112	7–07	बा. सोयम
2	राज. सरकार	मांगीलाल, मगराज, रतनेश पि. आसूलाल लेहरीदेवी बेवा आसूलाल, कल्याणदास, मांगीलाल पुत्र आसूलाल, रतनलाल पुत्र रिखबदास, हस्तीमल वल्द खीमराज, श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सम्पतराज, श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी पारसमल जाति ओसवाल नि. बाड़मेर खातेदार	574/112	11–05	बा. सोयम
3.	राज. सरकार	मोहनीदेवी पत्नी भगवानदास ममतादेवी पत्नी संजयकुमार जाति ओसवाल निवासी बाड़मेर वरजूदेवी पत्नी कमलसिंह जाति राणा राजपूत निवासी बाड़मेर खातेदार ना.क.सं. 333, 376	575/112	1–03	बा. सोयम
4.	राज. सरकार	लूणी देवी पत्नी जगदीशचन्द्र श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी कैलाशचन्द्र ढेलीदेवी पत्नी आसूलाल जाति ओसवाल निवासी कल्याणपुरा बाड़मेर खातेदार ना.क.सं. 333, 336, 343, 347, 376, 378, 379, 394	576/112	4–00	बा. सोयम
5.	राज. सरकार	रामसिंह, विरमसिंह, पोकरसिंह पि. मानसिंह पुरोहित सा. देह खातेदार	95	12–09	बा. सोयम
6.	राज. सरकार	लेरीदेवी पत्नी आसूलाल कमलादेवी पत्नी सम्पतराज कमलादेवी पत्नी पारसमल कमला देवीपत्नी प्रकाशचन्द्र ममतादेवी पत्नी लूणकरण जाति ओसवाल निवासी ढ़ाणी बाजार बाड़मेर खातेदार	100	0–09	बा. सोयम
7.	राज. सरकार	हिन्दुसिंह, तारसिंह, गुमानसिंह, गोरधनसिंह पि. रूगसिंह, शंकरसिंह पि. सावंत सिंह नेनसिंह जसवन्तसिंह पि. रणजीतसिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार रहन–जसवन्तसिंह का हि.दी. बाड़मेर से.कौ.आ. बैंक शाखा बाड़मेर नाकसं 333, 336, 343, 347, 376, 378,	551/98	22–00	बा. सोयम

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

		379, 394, 409			
8.	राज. सरकार	मांगीलाल, मगराज, रतनेश पि. आसूलाल लेहरीदेवी बेवा आसूलाल, कल्याणदास, मांगीलाल पुत्र आसूलाल, रतनलाल पुत्र रिखबदास, हस्तीमल वल्द खीमराज, श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सम्पतराज, श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी पारसमल जाति ओसवाल नि. बाड़मेर खातेदार	552/98	2–02	बा. सोयम
9.	राज. सरकार	मोहनीदेवी पत्नी भगवानदास, ममतादेवी पत्नी संजयकुमार जाति ओसवाल निवासी बाड़मेर वरजूदेवी पत्नी कमलसिंह जाति राणा राजपूत निवासी बाड़मेर खातेदार ना.क.सं. 333, 376	553/98	1–10	बा. सोयम
10.	राज. सरकार	लूणीदेवी पत्नी जगदीशचन्द्र श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी कैलाशचन्द्र ढेलीदेवी पत्नी आसूलाल जाति ओसवाल निवासी कल्याणपुरा बाड़मेर खातेदार ना.क.स. 333, 336, 343, 347, 376, 378, 379, 394,	554/98	4–01	बा. सोयम
11.	राज. सरकार	हस्तीमल पुत्र खीमराज बोथरा जाति जैन हि. 249/747, कनका देवी बेवा, बंशीधर, गौतमचन्द, रमेशकुमार पिता बंशीधर जाति जैन हि. 249/747, शान्तिदेवी पत्नी पारसमल बोथरा जाति ओसवाल हि. 120/747, पारसमल पुत्र भंवरलाल हि. 129/747 जाति जैन निवासी बाड़मेर खातेदार,	547/96	37–07	बा. सोयम
12.	राज. सरकार	मन्जूदेवी पत्नी मगराज श्रीमती सीमादेवी पत्नी संजयकुमार श्रीमती अन्जुदेवी पत्नी रतनलाल श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी किशनलाल गोतमचन्द पुत्र पारसमल जाति ओसवाल नि. न्याति नोहरे के पास बाड़मेर खातेदार ना.क.सं. 346, 372, 411	548/96	15.00	बा. सोयम
13.	राज. सरकार	लेरीदेवी पत्नी आसूलाल कमलादेवी पत्नी सम्पतराज कमलादेवी पत्नी पारसमल कमलादेवी पत्नी प्रकाशचन्द जितेन्द्रकुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति ओसवाल निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर खातेदार ना.क.स. 346, 372, 411	549/96	15–00	बा. सोयम
14.	राज. सरकार	मीनादेवी पत्नी रतनेश जैन मीनादेवी पत्नी पुरूषोत्तम कमलादेवी पत्नी पारसमल ढेलीदेवी पत्नी हस्तीमल जितेन्द्रकुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति ओसवाल नि. ढाणी बाजार बाड़मेर खातेदार ना.क.स. 346, 372, 412	550/96	10–00	बा. सोयम

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 19.05.2011 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरें की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व तकमीना मंगवाने हेतु दिनांक 04.11.11 एवं 26.12.11 को सूचित किया गया। जिसके जवाब में आवासीय अभियन्ता ने दिनांक 13.01.2012 को डी.एल.सी. दरे, नक्शा ट्रेस, मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की साथ ही अवार्ड निर्धारण बाबत् राज्य में लागू नवीन अधिनियम की धारा 23 के तहत् किये जाने हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2011 से पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान ग्राम लंगेरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में अवाप्ताधीन भूमि के समकक्ष भूमि के लिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेखों के आधार पर औसत विक्रय मूल्य क्या रहा की सूचना आवासीय अभियन्ता से पत्र दिनांक 28.10.14, 21.11.14 एवं 04.12.14 व उप पंजीयक बाड़मेर को दिनांक 28.10.14 व 24.12.14 को सूचित किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में उप पंजीयक बाड़मेर ने दिनांक 26.12.2014 को पिछले तीन साल की डी.एल.सी. दरे प्रस्तुत की जो कि 120–10 बीघा की पत्रावली में संधारित है।

दुर्गा जोशी संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.05.2011 के अनुसरण में औसत विक्रय मूल्य भिजवाने हेतु सम्बन्धितो को दूरभाष से दिनांक 26.12.2014 को सूचित किया गया।

समस्त दस्तावेज आवासीय योजना बाड़मेर (लंगेरा) 120–10 बीघा भूमि जो कि बाद अनुमोदन दिनांक राज्य सरकार 04.02.15 को जारी किया जा चुका में समलित है। चुकि उपरोक्त दोनो योजनाये एक ही रोड़ ग्राम लंगेरा में अवस्थित होने के कारण पंजीवद्व दस्तावेज व उप पंजीयक की दरें 120–10 बीघा में प्राप्त हुई को ही, आधार माना गया है। अतः आवासीय अभियन्ता ने पत्र दिनांक 05.1.15 व 12.01.15 से 2008, 09, 10 के पंजीवद्व दस्तावेज प्रेषित किये गये जिनके अनुसार न्यूनतम एवम् अधिकतम प्रतिफल राशि प्रति बीघा व उप पंजीयक बाड़मेर द्वारा अपने पत्रांक 26.12.2014 से प्रेषित डीएलसी दरे निम्न प्रकार से है।

पंजीबद्ध दस्तावेजों के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिफल राशि प्रति बीघा

क्र. सं.	ग्राम का नाम	वर्ष	न्यूनतम दर जिस पर दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश हुआ है	अधिकतम दर जिस पर दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश हुआ है
1.	लंगेरा बाडमेर,	2008	13060/– रू. प्रति बीघा	28740/– रू. प्रति बीघा
2.	लंगेरा बाडमेर,	2009	23785/–रू. प्रति बीघा	50000/– रू. प्रति बीघा
3.	लंगेरा बाडमेर,	2010	50000/– रू. प्रति बीघा	50000/– रू. प्रति बीघा

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	डीएलसी दर प्रति बीघा (कृषि प्रयोजनार्थ)				
1.	लंगेरा बाड़मेर	उच्च मार्ग पर सीधे सम्पर्क	उच्च मार्ग पर सीधे सम्पर्क में नही परन्तु सड़क सीमा के 100 मीटर तक	उच्च मार्ग पर सीधे सम्पर्क में नही परन्तु सड़क सीमा के 100 मी. से 200 मी तक	सड़क से दूर अन्य	उच्च मार्ग के अतिरिक्त अन्य सड़कों से सीधे सम्पर्क
		1092500	1035000	690000	345000	–

(दुर्गा जोशी) संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

दर का निर्धारण :– प्राप्त सूचना में तीन वर्षो के दस्तावेज से न्यूनतम दर कमशः 13060, 23785, 50000 का औसत 28948 रूपये प्राप्त हुआ जो औसत अनुसार 28948 (अठाइस हजार नौ सो अडतालीस) रूपये प्रति बीघा हुआ। इसी प्रकार अधिकतम दर तीन वर्षो की कमशः 28740, 50000, 50000 प्राप्त हुई है। जिनका औसत 42913 (बयालिस हजार नो सो तैरह) प्रति बीघा हुआ। अब इन दोनो का औसत 35930 (पैतीस हजार नो सो तीस) प्राप्त हुआ। उप पंजीयक बाड़मेर ने शहर के आस–पास राष्ट्रीय उच्चमार्ग तथा राज्य उच्चमार्ग के अनुसार इस

क्षेत्र की डी.एल.सी दर उच्च मार्ग पर सीधे सम्पर्क 1092500 (दस लाख बानव हजार पाँच सो) रूपये प्रति बीघा एवं सड़क सीमा के 100 मीटर तक 1035000 (दस लाख पैंतीस हजार) रूपये प्रति बीघा, उच्च मार्ग पर सीधे सम्पर्क में नही परन्तु सड़क सीमा के 100 मी. से 200 मी तक 690000 (छः लाख नब्बे हजार) रूपये प्रति बीघा, सड़क से दूर अन्य तक 345000 (तीन लाख पैतालिस हजार) रूपये प्रति बीघा बताया है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानो के अनुसार तीन वर्षो का औसत विक्रय मूल्य ओर डी.एल.सी. दर में जो अधिक होगा मुआवजा स्वरूप वह देय होगा। अतः मेरी राय में अवाप्ताधीन कृषि भूमि के अन्तर्गत असिंचित श्रेणी की है तथा भूमि की आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू-अर्जन अधिनियम की धारा 26 में वर्णित दिग्दर्शकों के अनुसरण तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जायेगा। निम्नानुसार दर निर्धारण करना उचित समझता हूं।

1. मुख्य सडक पर – 10,92,500. (दस लाख बाणवे हजार पांच सौ रूपये) प्रति बीघा/54,625 प्रति बिस्वा
2. सड़क से 100 मी. से 200 मी तक – 6,90,000 प्रति बीघा (छः लाख नब्बे हजार)/34,500 प्रति बिस्वा
3. सड़क से दूर व अन्य – 3,45,000 प्रति बीघा (तीन लाख पैतालिस हजार)/17,250 प्रति बिस्वा

आवासीय अभियंता, जैसलमेर के पत्र दिनांक 12.01.15 व स्पेशल कैम्प बाड़मेर 1 दिनांक 18.02.15 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि गडरा रोड बाडमेर पर अवस्थित है अतः खसरा नं. 576/112 को 10,92,500 (दस लाख बाणवे हजार पांच सौ रूपये) तथा 554/98 को 6,90,000 प्रति बीघा (छः लाख नब्बे हजार) प्रति बीघा तथा खसरा नं. 95 को 3,45,000 प्रति बीघा (तीन लाख पैतालिस हजार) रूपये प्रति बीघा मुआवजा स्वरूप देय होगा।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल जैसलमेर ने अवगत करवाया है कि उक्त अवाप्ताधीन भूमि नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण करते समय अनुसूची प्रथम के अनुसार नगरीय क्षेत्र की दशा में बाजार मूल्य कारक एक से गुणित किया जावेगा। इस दशा में जो निर्धारण उपरोक्तानुसार किया गया है उसी अनुसार मुआवजा देय है। उपरोक्त के अलावा शत प्रतिशत तोषण (Solatium) देय होगा।

(दुर्गा जोशी)
उप शासन सचिव-द्वितीय

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता द्वारा मौके पर स्थित तामीरोतो/संरचनाओं का सर्वे किया जाकर प्रचलित बी.एस.आर. को दरों के आधार पर मूल्याकन करते हुए तय किया जाता है। आवासीय अभियन्ता ने अपने पत्र क्रमांक 863 दिनांक 13.01.12 से सर्वे रिपोर्ट प्रेषित की है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यह सर्वे रिपोर्ट पूर्ण

नही है। इसमें खसरा नं. के आगे खातेदार के स्वामित्व का अंकन नही है। जिसके अभाव में यह तय नही किया जा सकता कि किस खातेदार को कितना मुआवजा देय है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार विकसित भूमि प्राप्त करने वाले खातेदारों को यथास्थान भूमि नहीं दिये जाने की स्थिति में ही केवल निर्मित भवनों का मुआवजा देय होगा। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा खातेदारो को भूमि यथास्थान दी जा रही है अथवा नही, बाबत् कोई सूचना प्रेषित नही की गई है। इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किस खातेदार को निर्मित भवन का मुआवजा देय होगा और किस को नही। अतः आवासन मण्डल अपने स्तर से तामीरातो के स्वामियो का निर्धारण कर, खातेदारो को यथास्थान भूमि नही दिये जाने पर ही मुआवजा का भुगतान करेगा।

जिसकी गणना निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वाद सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा बीघा–बिस्वा में	नगद मुआवजा / 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड
1		हिन्दुसिंह, तारसिंह, गुमानसिंह, गोरधनसिंह पि. रूगसिंह, शंकरसिंह पि. सावंतसिंह, नेनसिंह, जसवन्तसिंह पि. रणजीतसिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदाररहन–जसवन्तसिंह का हि.दी. से.कौ.आ. बैंक शाखा बाड़मेर नाकसं 333, 336, 343, 347, 376, 378, 379, 394, 409	572/112	7–07	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
2		मांगीलाल, मगराज, रतनेश पि. आसूलाल लेहरीदेवी बेवा आसूलाल, कल्याणदास, मांगीलाल पुत्र आसूलाल, रतनलाल पुत्र रिखबदास,हस्तीमल वल्द खीमराज, श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सम्पतराज, श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी पारसमल जाति ओसवाल नि. बाड़मेर खातेदार	574/112	11–05	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
3		मोहनीदेवी पत्नी भगवानदास ममतादेवी पत्नी संजयकुमार जाति ओसवाल निवासी बाड़मेर वरजूदेवी पत्नी कमलसिंह जाति राणा राजपूत निवासी बाड़मेर खातेदार ना.क.सं. 333, 376	575/112	1–03	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
4		लूणी देवी पत्नी जगदीशचन्द्र श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी कैलाशचन्द्र ढेलीदेवी पत्नी आसूलाल जाति ओसवाल निवासी कल्याणपुरा बाड़मेर खातेदार ना. क.सं. 333, 336, 343, 347, 376, 378, 379, 394	576/112	4–00	54,625 प्रति बिस्वा भूमि कीमत: 43,70,000 तकमीना: – अ: 43,70,000 100: अनिवार्य अवाप्ति ब: 43,70,000 योग अ+ब: 87,40,000

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

5		रामसिंह, विरमसिंह, पोकरसिंह पि. मानसिंह पुरोहित सा. देह खातेदार	95	12–09	17,250 प्रति बिस्वा भूमि क़ीमत तकमीना अ 100: अनिवार्य अवाप्ति ब योग अ+ब	42,95,250 – 42,95,250 42,95,250 85,90,500
6		लेरीदेवी पत्नी आसूलाल कमलादेवी पत्नी सम्पतराज कमलादेवी पत्नी पारसमल कमला देवीपत्नी प्रकाशचन्द्र ममतादेवी पत्नी लूणकरण जाति ओसवाल निवासी ढ़ाणी बाजार बाड़मेर खातेदार	100	0–09	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
7		हिन्दुसिंह, तारसिंह, गुमानसिंह, गोरधनसिंह पि. रूगसिंह, शंकरसिंह पि. सावंत सिंह नेनसिंह जसवन्तसिंह पि. रणजीतसिंह कौम पुरोहित सा. देह खातेदार. रहन–जसवन्तसिंह का हि.दी. बाड़मेर से.कौ.आ. बैंक शाखा बाड़मेर नाकसं 333, 336, 343, 347, 376, 378, 379, 394, 409	551/98	22–00	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
8		मांगीलाल, मगराज, रतनेश पि. आसूलाल लेहरीदेवी बेवा आसूलाल, कल्याणदास, मांगीलाल पुत्र आसूलाल, रतनलाल पुत्र रिखबदास, हस्तीमल वल्द खीमराज, श्रीमती सुशीला देवी पत्नी सम्पतराज, श्रीमती शान्तिदेवी पत्नी पारसमल जाति ओसवाल नि. बाड़मेर खातेदार	552/98	2–02	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
9		मोहनीदेवी पत्नी भगवानदास, ममतादेवी पत्नी संजयकुमार जाति ओसवाल निवासी बाड़मेर वरजूदेवी पत्नी कमलसिंह जाति राणा राजपूत निवासी बाड़मेर खातेदार ना.क.सं. 333, 376	553/98	1–10	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	
10		लूणीदेवी पत्नी जगदीशचन्द्र श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी कैलाशचन्द्र ढेलीदेवी पत्नी आसूलाल जाति ओसवाल निवासी कल्याणपुरा बाड़मेर खातेदार ना.क.स. 333, 336, 343, 347, 376, 378, 379, 394,	554/98	4–01	34,500 प्रति बिस्वा भूमि कीमत तकमीना अ 100: अनिवार्य अवाप्ति ब योग अ+ब	27,94,500 – 27,94,500 27,94,500 55,89,000
11		हस्तीमल पुत्र खीमराज बोथरा जाति जैन हि. 249/747, कनका देवी बेवा, बंशीधर, गौतमचन्द, रमेशकुमार पिता बंशीधर जाति जैन हि. 249/747, शान्तिदेवी पत्नी पारसमल बोथरा जाति	547/96	37–07	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।	

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

		ओसवाल हि. 120/747, पारसमल पुत्र भंवरलाल हि. 129/747 जाति जैन निवासी बाड़मेर खातेदार,			
12		मन्जूदेवी पत्नी मगराज, श्रीमती सीमादेवी पत्नी संजयकुमार श्रीमती अन्जुदेवी पत्नी रतनलाल श्रीमती मन्जूदेवी पत्नी किशनलाल गोतमचन्द पुत्र पारसमल जाति ओसवाल नि. न्याति नोहरे के पास बाड़मेर खातेदार ना.क.सं. 346, 372, 411	548/96		खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
13		लेरीदेवी पत्नी आसूलाल कमलादेवी पत्नी सम्पतराज कमलादेवी पत्नी पारसमल कमलादेवी पत्नी प्रकाशचन्द जितेन्द्रकुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति ओसवाल निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर खातेदार ना.क.स. 346, 372, 411	549/96	15–00	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।
14		मीनादेवी पत्नी रतनेश जैन मीनादेवी पत्नी पुरूषोत्तम कमलादेवी पत्नी पारसमल ढेलीदेवी पत्नी हस्तीमल जितेन्द्रकुमार पुत्र प्रकाशचंन्द जाति ओसवाल नि. ढाणी बाजार बाड़मेर खातेदार ना.क.स. 346, 372, 412	550/96	10–00	खातेदारों द्वारा 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड की मांग किए जाने के कारण मुआवजा राशि की गणना नहीं की जा रही है।

ग्राम लंगेरा बाडमेर के लिए कुल रकबा 143–13 बिस्वा भूमि अवाप्ताधीन है। अतः सम्पूर्ण भूमि का अवार्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुंनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत् प्रेषित किया जा रहां है।

खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेनें या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू–अर्जन अधिनियम धारा 34 के अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

जिन खातेदारों/हितधारियों ने 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड का विकल्प दिया है उनको राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.05 के अनुसार 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड जिसमें 20 प्रतिशत आवासीय 5 प्रतिशत वाणिज्यिक विकसित भूखण्ड खातेदार की अवाप्त की जाने वाली भूमि में या उस योजना में जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है, में ही आवंटन किया जा सकेगा। यदि अवाप्तुशदा भूमि के बदले आवासीय भूमि का आवंटन उसी स्थान पर किया जाता है तो प्रार्थी को निर्मित भवनों का मुआवजा अलग से देय नहीं होगा। उसी योजना में किन्हीं अन्य

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

स्थान पर भूमि आवंटन किए जाने की स्थिति में निर्मित भवनों का अलग से मुआवजा सम्बन्धित बी.एस.आर. से देय होगा। कुंआ वृक्ष इत्यादि का मुआवजा देय नहीं होगा।

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होती है के अनुसार तय की जाती है जिसकी गणना पृथक से आवासन मण्डल द्वारा की जावेगी। इसी प्रकार भूमि पर स्थित सभी प्रकार के वृक्षों बड़े, मध्यम व छोटी श्रेणी के लिये क्रमशः 1500, 1000, 500 प्रति नग के हिसाब से दिया जाना प्रस्तावित हैं लेकिन यदि खातेदार मुआवजा नहीं लेकर पेड़ ले जाना चाहे तो उन्हें यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड हितधारियों द्वारा वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। साथ ही अवाप्ताधीन भूमि बाबत किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 19/2/2015 को तैयार कर संयुक्त शासन सचिव, द्वितीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

(अनिल कुमार कौशिक)
विशेषाधिकारी
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक अधिसूचना क्रमांक प.7(62)नविवि/III/2010 जयपुर दिनांक 26.02.2015 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 27.02.2015 को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

(अनिल कुमार कौशिक)
विशेषाधिकारी

क्रमांकः-ओ.एस.डी./न.वि.वि/15/ 1617 दिनांकः- 2.3.2015

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार बाडमेर।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

(अनिल कुमार कौशिक)
विशेषाधिकारी